



समक्ष श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, भोपाल केम्प (म.प्र.)

पुनरीक्षण याचिका क्रमांक...../2014

R-2462-PBR14

प्राचार्य सैफिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय,
अहमदाबाद पैलेस, कोहेफिजा, भोपाल (म.प्र.) द्वारा-
डॉ. अल्का गोपाल पत्नी श्री अजय गोपाल

विरुद्ध

.....आवेदिका/पुनरीक्षणकर्ता

नूर-उस-सबाह होटल्स एण्ड प्रापर्टी
प्रायवेट लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर
कोहेफिजा, भोपाल (म.प्र.)

.....अनावेदक

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा-50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता-1959

आवेदिका/पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अधिनस्थ न्यायालय
तहसीलदार महोदय, नजूल शहर, बैरागढ़ वृत्त, भोपाल (म.प्र.) के द्वारा शिकायत प्रकरण
क्रमांक-525/बी-121/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 25/02/2014 से दुःखित होकर
निम्नलिखित तथ्यों पर पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है:-

क्र
अ
र
व
ए

आवेदक की ओर से श्री विंश
 सिंह कोटान अमेनाषक उपाध्यत।
 आवेदक की ओर से श्री राजेश गौरी
 अमेनाषक उपाध्यत। ग्राह्यता पर सुना
 गया। नहरीलदा के आदेश को इतने
 से स्पष्ट है कि नहरीलदार को आवेदक
 की ओर से प्रत्युत शिकायत निरस्त को

[Signature]
 30/6/2011

[क. प. उ.]

किया गया है। अतः क्वेश्चर को
 निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने
 स्तर से शिकायत का निराकरण करें
 और यदि आवश्यक हो तो शिकायतकर्ता
 को भी सुनवाई का अवसर दें। इस
 प्रकार में कोई कार्यवाही शेष नहीं
 होने से समाप्त किया जाता है।

[Signature]
 अध्यक्ष